प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 24.09.2018
प्र.सं. 101/2015 बलविन्द्रसिंह बनाम श्रीमती हरप्रीत कौर व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, I.A.S.

वादपत्र संख्या 101/2015
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

बलविन्द्रसिंह आयु 70 वर्ष आत्मज श्री हरपालसिंह जटसिख, चक कोनी वर्तमान सी–109 प्रेमनगर, श्रीगंगानगर

...वादी

बनाम

1. श्रीमती हरप्रीतकौर एवं
2. श्रीमती गुरप्रीतकौर आत्मजन श्री हरपलसिंह, जटसिख,
3. जगदप आत्मज श्री बलविन्द्रसिंह,
4. श्रीमती सन्तकौर धर्मपत्नी श्री सन्तासिंह(मृत)
   - 4.1. दलजीतसिंह आत्मज श्री सन्तासिंह(मृत)
     - 4.1.1. श्रीमती बलविन्द्रकौर धर्मपत्नी श्री दलजीतसिंह,
     - 4.1.2. देवेन्द्रसिंह,
     - 4.1.3. श्रीमती गुरविन्द्रकौर एवं
     - 4.1.4. श्रीमती कुलविन्द्रकौर आत्मजन स्व. श्री दलजीतसिंह, जटसिख, चक 10 डबल्यु तहसील श्रीकरणपुर,
   - 4.2. गुरदेवसिंह आत्मज श्री सन्तासिंह(मृत)
     - 4.2.1. श्रीमती गुरदेवकौर धर्मपत्नी स्व. श्री गुरदेवसिंह,
     - 4.2.2. जगजीतसिंह,
     - 4.2.3. श्रीमती दसदीपकौर
     - 4.2.4. श्रीमती राजवीरकौर आत्मजन स्व. श्री- गुरदेवसिंह, जटसिख, चक 10 डबल्यु तहसील श्रीकरणपुर,
5. गुरबख्शसिंह एवं
6. श्रीमती गुरजीतकौर अत्मजन श्री सन्तासिंह, चक 10 डबल्यु तहसील श्रीकरणपुर,
7. सुखजीतसिंह आत्मज श्री सन्तासिंह(मृत)
   - 7.1. श्रीमती सुखविन्द्रकौर धर्मपत्नी,
   - 7.2. श्रीमती रुबलजीतकौर एवं
   - 7.3. श्रीमती नवलदीपकौर आत्मजन स्व. श्री सूखजीतसिंह, जटसिख, चक 10 डबल्यु तहसील श्रीकरणपुर,
8. श्रीमती दलीपकौर धर्मपत्नी श्री हरबंससिंह(मृत)
   - 8.1. श्रीमती सुखविन्द्रकौर,
   - 8.2. श्रीमती हरशरणकौर,
   - 8.3. श्रीमती [illegible] एवं
   - 8.4. श्रीमती सुखराजकौर [illegible] श्री हरबंससिंह, जटसिख, गांव [illegible]
9. जोगेन्द्रसिंह आत्मज श्री हरबंससिंह(मृत)
   - 9.1. श्रीमतीशरणजीतकौर धर्मपत्नी
   - 9.2. श्रीमती गिनी एवं

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर
कार्यालय सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:47:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण की तलबी नहीं हो रही क्योंकि विविध आवेदनपत्र पत्रावली में जारी पंजीकृत नोटिस प्रतिवादीगण/अनावेदकगण जानबूझ कर नहीं ले रहे हैं जो कि एक ही परिवार के सदस्य हैं इसलिये वादी प्रतिवादीगण की तामील हेतु समाचारपत्र में सम्मन प्रकाशित करवाना चाहता है. इस प्रकार दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशन की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया. जिस पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हिन्दी दैनिक सम्भाग स्तरीय दैनिक सीमासन्देश में प्रकाशन करवाने की स्वीकृति दी गयी. परिणामतः प्रतिवादीगण की तलबी हेतु जारी सम्मन दैनिक सीमासन्देश दिनांक 2 नवम्बर, 2015 में प्रकाशित करवाये गये. प्रतिवादी संख्या 8.2 से 8.4, 9.1 से 9.3, 10.1, 10.3 एवं 10.4 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 5, 6 एवं 7.1 से 7.3 एवं प्रतिवादी संख्या 11.1 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 4.1 से 4.1.9, 4.2.1 से 4.2.4, 8.1, 10.2, 11.2.1 से 11.2.4 की तलबी हेतु सम्मन प्रकाशनोपरान्त भी रूक रूक कर आवाजें लगवाये जाने पर उपस्थित नहीं आने पर आदेश दिनांक 16 अगस्त, 2016 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4.1 से 4.1.9, 4.2.1 से 4.2.4, 8.1, 10.2, 11.2.1 से 11.2.4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक श्रीगंगानगर

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 24 फरवरी, 2016 अन्तर्गत आदेश 7(11) व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार उक्त शीर्षक का वाद वादी द्वारा मौखिक बंटवारा के आधार पर घोषणा एवं शाश्वत व्यादेश हेतु मा. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है. उल्लेखित मौखिक घरू बंटवारा वादी–प्रतिवादीगण के बीच कभी हुआ ही नहीं है और वादी मौखिक घरू बंटवारा को लेकर घोषणा एवं शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने का कानूनी रूप से कतई हकदार नहीं है. इस प्रकार मौखिक घरू बंटवारा के आधार पर मा. न्यायालय को वादपत्र सुनने एवं निर्णय करने का अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण इसी स्तर पर वाद सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब आंवेदनपत्र दिनांक 08 मार्च, 2016 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार आवेदनपत्र के बिन्दु संख्या 2 में लिखित कथन आधारहीन तथ्यों के विपरीत एवं न्याय सिद्वान्त के विपरीत लेख किया होने के कारण अस्वीकार करते हुऐ विचाराधीन प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र सलंग्न नही होने के तथ्य अंकित किये गये. प्रतिवादी द्वारा मात्र वाद में देरी करने के आश्य एवं उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है जो कि निरस्त किये जानपे योग्य है. आवेदनपत्र में ऐसा कोई विधिक आधार लेख नहीं किया गया है जो आवेदनपत्र को आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लाता हो. इस प्रकार निरर्थक, आधारहीन एवं विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करने के आश्य एवं उद्देश्य से प्रस्तुत आवेदनपत्र निरस्त ... किये जाने का निवेदन किया गया.

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:47:25 IST
Reason: SelfAttested

आवेदनपत्र पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त ... दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा विचाराधीन वादपत्र के बिन्दु ... में अंकित किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता पांचों भाईयों ने काश्त की सहूलियत,

अच्छी आबपाशी अनुसार, हक व हिस्सा अनुसार, उपजाउ कम उपजाउ के अनुसार आज से करीबन 35–40 वर्ष पूर्व मौखिक घरेलू बंटवारा कर लिया था. इस घरेलू बंटवारा के अनुसार श्री आसाराम के पांचों पुत्रों के परिवार अपने हक व हिस्सा पर काबिज हैं. प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन आवेदनपत्र में इस तथ्य से इन्कार किया गया है. जबकि किसी भी तथ्य का जवाब, जवाब वादपत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है किन्तु विचाराधीन आवेदनपत्र आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अव्यवों की पूर्ति नहीं करता है. इसलिये आवेदनपत्र निरस्त किया गया.

प्रतिवादी संख्या 8.1, 8.3 एवं 8.4 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 31 मार्च, 2016 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार वादपत्र के बिन्दु संख्या 3 से 5 अभिलेखीय साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार किये गये. पक्षकारान के मध्य कोई विभाजन नहीं हुआ है एवं न ही कोई अभिलेखीय साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है इसलिये विचाराधीन वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. किसी भी कथित विभाजन में वादी के हिस्सा में चक 3 एफ बड़ा की कृषि भूमि आयी है. किन्तु माननीय न्यायालय के समक्ष चक 3 एफ बड़ा की कृषि भूमि की बाबत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम दिनाक 1 दिसम्बर, 2014 को प्रस्तुत किया गया जिसमें यह तथ्य स्वीकार किया गया कि चक 3 एफ बड़ा की कृषि भूमि संयुक्त कृषि भूमि है जिसका विभाजन किया जाव किन्तु बाद में वादपत्र स्वयं ही निरस्त करवया गया तथा विचाराधीन वादपत्र गलत, मनघढंत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है. वादी द्वारा विचाराधीन वादपत्र चक 5 डबल्यु एवं चक 10 डबल्यु की भूमि को शामिल नही किया गया बल्कि तीनों चको की भूमि के लिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने पर निर्णय किया जा सकता है. विचाराधीन वादपत्र में तहसीलदार, श्रीकरणपुर को पक्षकार नही बनाया गया. पूर्व वादको जानबूझ कर प्रत्याहरित कर लालचवश नया वादपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा वादी पर विबन्धन का सिद्वान्त लागू होता है. वादी को न तो वादकरण उत्पन्न हुआ है व न ही वादी का समस्त प्रश्नगत कृषि भूमि पर कब्जा है न ही वादी चक 3 एफ बड़ा की समस्त कृषि भूमि अपने नाम पर दर्ज करवाने का ही अधिकारी है बल्कि प्रतिवादीगण अभिलिखित खातेदार हैं तथा उनके हिस्सा की कृषि भूमि किसी भी प्रकार से वादी अपने नाम पर दर्ज करवाने का अधिकारी ही है. पूर्व के वादपत्र शीर्षक बलवन्द्रसिह बनाम श्रीमती सुखविन्द्रकौर व अन्य तलब की जाकर सम्मिलित की जानी आवश्यक है तथा विचाराधीन वादपत्र धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अर्न्तगत विधि द्वारा वर्जित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है. नामान्तरकरण संख्या 463 दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 के विरूद्व किसी भी सक्षम न्यायालय में अपील नहीं किये जाने के कारण अन्तिम हो चुका है जिसे विचाराधीन वादपत्र के माध्यम से निरस्त नहीं करवाया जा सकता. अतः विचाराधीन वादपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 8.2 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 31 मार्च, 2016 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार वादपत्र के बिन्दु संख्या 3 से 5

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
कार्यालय सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(कैम्प कोर्ट) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:47:25 IST
Reason: SelfAttested

9A
18

विवाद्यक संख्या 2 – क्या नामान्तरकरण संख्या 463 दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 विचाराधीन वाद से प्रभावित है?

..**प्रतिवादी**

विवाद्यक संख्या 1 के विनिश्चिय के अनुसार पारिवारिक समझौता के परिदृश्य जिन सदस्यों द्वारा पारिवारिक समझौता पर सहमति दी गयी है, वादी मात्र उन सदस्यों के हिस्सा में आने वाली कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने का ही अधिकारी है जिससे नामान्तरकरण संख्या 463 दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 से वादपत्र प्रभावित नहीं होता है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 2 प्रतिवादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यकों के विनिश्चिय के अनुसार तथाकथित पारिवारिक समझौता पर दी गयी सहमति के अनुसार 3 एफ. बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 30/32 मुरब्बा नम्बर 22 में वादी के स्वयं के नाम पर दर्ज 0.421 हैक्टर के अतिरिक्त वादी सहमति के आधार पर 0.843+0.630+0.316 कुल 1.789 हैक्टर कृषि भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाने का ही अधिकारी है.

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर
कार्यालय सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक श्रीगंगानगर

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा पारिवारिक समझौता पर दी गयी सहमति के अनुसार वादी के स्वयं के नाम पर दर्ज 0.421 हैक्टर के 3 एफ. बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 30/32 मुरब्बा नम्बर 22 में वादी के स्वयं के नाम पर दर्ज 0.421 हैक्टर के अतिरिक्त वादी सहमति के आधार पर 0.843+0.630+0.316 कुल 1.789 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
सहायक कलक्टर आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

प्रार्थना पत्र दर्ज करने का रजिस्टर
1. क्रमांक व दिनांक 215/16.06.25
2. नकल तैयार करने की दि. 16.06.25
3. नकल जारी करने की दि. 16.06.25
4. कुल पृष्ठ 11
5. नकल फीस राजकीय प्रयोजनार्थ नि:शुल्क
6. अन्य —
7. हस्ताक्षर नकल कुनिंदा

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:47:25 IST
Reason: SelfAttested

59/12

प्रमाणित प्रतिलिपि डिक्री दिनांक 24.09.18
प्रक 101/15 [illegible] बनाम [illegible] व अन्य

डिक्री

(Order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, I.A.S.

बलविन्द्रसिंह आयु 70 वर्ष आत्मज श्री हरनामसिंह, जटसिख, चक कोनी वर्तमान सी–109 [illegible]नगर, श्रीगंगानगर _वादी

बनाम

1. श्रीमती [illegible]कौर एवं
2. श्रीमती गुरजीतकौर आत्मजा श्री हरनामसिंह, जटसिख,
3. [illegible] आत्मज श्री बलविन्द्रसिंह,
4. श्रीमती [illegible]कौर धर्मपत्नी श्री [illegible]सिंह(मृत)
   4.2 दलजीतसिंह आत्मज श्री [illegible]सिंह(मृत)
      4.2.1 श्रीमती [illegible]कौर धर्मपत्नी श्री दलजीतसिंह,
      4.2.2 [illegible]सिंह,
      4.2.3 श्रीमती [illegible]कौर एवं
      4.2.4 श्रीमती [illegible]कौर आत्मजा स्व. श्री दलजीतसिंह, जटसिख, चक 10 [illegible] तहसील श्रीकरणपुर,
   4.3 गुरदेवसिंह आत्मज श्री [illegible]सिंह(मृत)
      4.3.1 श्रीमती गुरदेवकौर धर्मपत्नी स्व. श्री गुरदेवसिंह,
      4.3.2 [illegible]सिंह,
      4.3.3 श्रीमती [illegible]कौर
      4.3.4 श्रीमती [illegible]कौर आत्मजा स्व. श्री गुरदेवसिंह, जटसिख, चक 10 [illegible] तहसील श्रीकरणपुर,
5. गुरबख्शसिंह एवं
6. श्रीमती गुरजीतकौर आत्मजा श्री [illegible]सिंह, चक 10 [illegible] तहसील श्रीकरणपुर,
7. सुखजीतसिंह आत्मज श्री [illegible]सिंह(मृत)
   7.1 श्रीमती सुखविन्द्रकौर धर्मपत्नी,
   7.2 श्रीमती [illegible]कौर एवं
   7.3 श्रीमती [illegible]कौर आत्मजा स्व. श्री सुखजीतसिंह, जटसिख, चक 10 [illegible] तहसील श्रीकरणपुर,
8. श्रीमती [illegible]कौर धर्मपत्नी श्री हरबंससिंह(मृत)
   8.1 श्रीमती सुखविन्द्रकौर,
   8.2 श्रीमती [illegible]कौर,
   8.3 श्रीमती [illegible]कौर एवं
   8.4 श्रीमती [illegible]कौर आत्मजा श्री हरबंससिंह, जटसिख, गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
9. जोगेन्द्रसिंह आत्मज श्री हरबन्ससिंह(मृत)
   9.1 श्रीमती [illegible]कौर धर्मपत्नी,
   9.2 श्रीमती [illegible] एवं
   9.3 [illegible]सिंह आत्मज श्री जोगेन्द्रसिंह, जटसिख, गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
10. श्रीमती [illegible]कौर धर्मपत्नी श्री हरमोहेन्द्रसिंह(मृत)
   10.1 श्रीमती [illegible]कौर,
   10.2 श्रीमती [illegible]कौर,
   10.3 श्रीमती [illegible]कौर एवं
   10.4 श्रीमती [illegible]कौर आत्मजा श्री हरमोहेन्द्रसिंह, जटसिख, गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
11. श्रीमती गुरजीतकौर धर्मपत्नी श्री गुरबचनसिंह(मृत)
   11.1 श्रीमती [illegible] आत्मजा श्री गुरबचनसिंह उर्फ गुरचननसिंह, जटसिख, चक 10 [illegible] तहसील श्रीकरणपुर,
   11.2 बलराज सिंह आत्मज श्री गुर[illegible] गुरचननसिंह(मृत)
   11.2[illegible]
   11.2[illegible] श्री बलराजसिंह, जटसिख, चक
   11.2[illegible]
   [illegible] तहसील श्रीगंगानगर
12. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्री[illegible]नगर _प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:47:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
कार्यालय सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर
कार्यपालक [illegible]
(फास्ट ट्रेक) [illegible]

90

वादपत्र संख्या 101/2015
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री मनोहरलाल सहारण, श्री इन्द्रजीत बिश्नोई श्री इन्द्रजीत बिश्नोई प्रतिवादी–8.2से8.4, 9.1से 9.3, 10.1, 10.3, 10.4, श्री सुशील बिश्नोई प्रतिवादी–1से3,5से7.1से 7.3,11.1 एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी–12) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

पारिवारिक समझौता पर दी गयी सहमति के अनुसार वादी के स्वयं के नाम पर दर्ज 0.421 हैक्टर के 3 एफ. बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 30/32 मुरब्बा नम्बर 22 में वादी के स्वयं के नाम पर दर्ज 0.421 हैक्टर के अतिरिक्त वादी सहमति के आधार पर 0.843+0.630+0.316 कुल 1.789 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है.

वाद व्यय शून्य वास्ते...शून्य......खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य.......दर वार्षिक ....शून्य.......आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर
कार्यालय सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

प्रार्थना पत्र दर्ज करने का रजिस्टर

1. क्रमांक व दिनांक 215 | 16.06.25
2. नकल तैयार करने की दि 16.06.25
3. नकल जारी करने की दि 16.06.25
4. कुल पृष्ठ 2
5. नकल फीस राजकीय प्रयोजनार्थ निःशुल्क
6. अन्य —
7. हस्ताक्षर नकल कर्निंदा 16/06/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:47:25 IST
Reason: SelfAttested